

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0-226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :/सम्बद्धता/2018

दिनांक :

ई-मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय-ज्ञाप

प्रायः देखा जा रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति की मान्यता (Recognize) उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-2(13) के अन्तर्गत सम्यक तारतम्य में नहीं कराये जा रहे हैं।

2. अतः समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि-1. जिन सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति की पूर्व मान्यता की अवधि कालातीत हो गयी है अथवा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त नहीं है, वे यथाशीघ्र विहित प्रक्रियानुसार महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लें।

3. जिन सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति की मान्यता अवधि आगामी समय में समाप्त होने वाली है, उनसे अपेक्षा है कि वे निर्धारित तिथि (अनुमोदित तिथि) से 06 माह पूर्व प्रक्रिया प्रारम्भ करके प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समय समाप्ति के 03 माह पूर्व विश्वविद्यालय में सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराकर अनुमोदन/मान्यता प्राप्त करने का कष्ट करें।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : AM/23101-105 दिनांक : 15/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
3. प्रबन्धक, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ को अनुपालनार्थ।
4. ☒ ईंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)